सरस्वती एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट और अन्य

बनाम

भारत संघ और अन्य

(रिट याचिका (सी) संख्या 515/2017)

01 सितंबर, 2017

[दीपक मिश्रा, सी.जे.आई, ए.एम खानविलकर और डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड,

न्यायाधिपतिगण]

शिक्षा/शिक्षण संस्थायेंः

संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन रिट याचिका- एजुकेशनल सोसायटी द्वारा याचिका दायर की गयी जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा 31.05.2017 को पारित आदेश को चुनौती दी गयी जिसके द्वारा याचिकाकर्ता मेडिकल कॉलेज को शैक्षणिक सत्र 2017-2018 और 2018-2019 के लिए एमबीबीएस पाठयक्रम में प्रवेश देने पर रोक लगा दी गयी- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केन्द्र सरकार को अनुमति के मुद्दे पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, सुनवाई समिति, डी.जी.एच.एस और निगरानी समिति के विचारों का पुर्नमूल्यांकन करके पुनर्विचार करने के निर्देश दिये- सुनवाई समिति ने प्रवेश की अनुमति नही देने की सिफारिश की- सक्षम प्राधिकारी अधिकारी ने दिनांक 10.08.2017 के आदेश द्वारा सिफारिशों को

स्वीकार किया- याचिकाकर्ताओं द्वारा अन्तवर्ती प्रार्थनापत्र दायर कर इस आदेश को चुनौती दी- निर्धारित किया गया की:आकलन रिपोर्ट में संकाय के संबंध मे बताई गई कमियां गंभीर नहीं थी और अनुमय सीमा में थी- एम.सी.आई पहले ही शैक्षणिक सत्र 2017-2018 के लिए अनुमति पत्र जारी करने पर निरीक्षण कर चुका था- याचिकाकर्ताओं ने दूसरे आकस्मिक निरीक्षण पर आपत्ति जताई थी जो कट ऑफ डेट के बाद किया जाना था- जबकि निरीक्षण की रिपोर्ट पुनर्विचार के लिए लंबित थी तब द्वितीय निरीक्षण की आवश्यकता का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था- इसलिए याचिकाकर्ता कॉलेज आधारभूत संरचनाओं और शैक्षणिक सत्र आवश्यकताओं को पूरा करता है और पहले ही शैक्षणिक सत्र 2016-2017 में कार्यरत रहा है। व्यापक लोकहित में संविधान के अनुच्छेद-142 के अन्तर्गत याचिका और आवेदन को स्वीकार किया गया- भारतीय संविधान के अनुच्छेद-32 व 142 के अन्तर्गत।

याचिका स्वीकार की गई और न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया

1. निगरानी समिति ने अपने दिनांक 14.05.2017 के संचार में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि कोई बडी कमी नहीं थी। मूल्यांकन रिपोर्ट में बताई गई कमी केवल 1.5 प्रतिशत संकाय और 6.52 प्रतिशत रेजीडेंट्स की थी। ये स्वीकार्य सीमाओं के भीतर था। याचिकाकर्ता कॉलेज शैक्षणिक सत्र 2016-2017 से कार्य कर रहा है। यहां तक कि सक्षम प्राधिकारी ने भी

विवादित निर्णय में यह राय नहीं दी है कि पूर्व में देखी गई कमियाॅ महत्वपूर्ण या गंभीर थी। इस तरह की कमियों को किसी मानक से महत्वपूर्ण नही कहा जा सकता है। ऐसा ही निगरानी समिति (ओसी) द्वारा उचित रूप से देखा गया था, कि यह अनुमय सीमा के भीतर था। [पैरा 9] [400-ई-जी]

2. शैक्षणिक सत्र 2017-2018 के अनुमति पत्र जारी करने के लिए निरीक्षण विधिवत रूप से 18 और 19 नवंबर 2016 को आयोजित किया गया था। उत्तरदाताओं का यह कहना सही नही है कि शैक्षणिक सत्र 2017-2018 के संबंध में अभी तक कोई निरीक्षण नहीं किया गया है। वास्तव में याचिकाकर्ताओं ने 21 और 22 दिसंबर 2016 पर निर्धारित दूसरे आकस्मिक निरीक्षण पर आपत्ति जताई थी जो कि कट ऑफ डेट 15 दिसंबर 2016 के बाद था। वह उद्देश्य जिसके लिए दूसरा आकस्मिक निरीक्षण कट ऑफ डेट 15 दिसंबर 2016 के बाद जरूरी हुआ था, इसका स्पष्टीकरण और संज्ञान ना तो कार्यकारी समिति द्वारा अपनी बैठक दिनांक 13.01.2017 में दिया और ना ही सुनवाई समिति ने और ना ही केन्द्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया। महत्वपूर्ण बात ये है कि मामला नहीं है कि कॉलेज के अधिकारीयों ने निरीक्षण दल को कॉलेज में प्रवेश करने से रोका हो। याचिकाकर्ता कॉलेज ने केवल उन्हें दी गई सलाह के अनुसार अपनी आपत्ति दर्ज की कि कट ऑफ तिथि के बाद एम.सी.आई

को इस तरह के निरीक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती। निरीक्षण दल ने बिना कोई निरीक्षण किए कॉलेज छोड दिया। तथापि सक्षम प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता कॉलेज पर एम.सी.आई की सिफारिश पर यांत्रिक रूप से कार्य करते हुये 02 साल के लिए प्रतिबंध लगाया और एम.सी.आई को 31 मई 2017 के आदेश के माध्यम से 2 करोड रूपये की बैंक गारंटी को इनकैश करने के लिए अधिकृत किया। [पैरा 12] [400-जी-एचः 401-ए-सी]

3. सुनवाई समिति साथ ही साथ केन्द्रीय सरकार, मामले से सुसंगत सभी पहलूओं पर विचार करने में विफल रही और उक्त अधिकारियों द्वारा निकाला गया निष्कर्ष यदि विकृत नहीं था तो भी विवेकहीन है। विनिमिय में ऐसा कुछ भी नहीं है जो एम.सी.आई को स्पष्ट रूप से कई निरीक्षण करने से रोकता हो हालांकि जब उस कार्यवाही पर सवाल उठाया जाता है तो उम्मीद की जाती है कि एम.सी.आई को दूसरे आकस्मिक निरीक्षण के लिए कुछ औचित्य पेश करना चाहिए जबकि मूल्यांकनकर्ताओं ने हाल ही में 18 और 19 नवंबर 2016 को पहले निरीक्षण को पूरा किया था और उस संबंध में निर्धारित प्रारूप में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। सुनवाई समिति के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार के सक्षम प्राधिकारी को भी किसी अंतिम निर्णय को लेने से पहले मामले के इस पहलू से जांच करने की उम्मीद की जाती थी, विशेष रूप से जब रिकॉर्ड में केवल संकाय की मानक कमी 1.5 प्रतिशत और रेजीडेंट्स की 6.52 प्रतिशत को छोड़कर किसी कमी

की ओर ईशारा नहीं किया गया है, जो स्पष्ट रूप से अनुमय सीमा के भीतर थी। [पैरा 14] [405-एफ-एचः 406-ए-बी]

4. सक्षम प्राधिकरण पहले ही शैक्षणिक सत्र 2016-2017 के लिए कॉलेज को दी गई सशर्त अनुमति की पुष्टि कर चुका है लेकिन याचिकाकर्ता कॉलेज को शैक्षणिक सत्र 2017-2018 के लिए एमबीबीएस पाठयक्रम में छात्रो को प्रवेश देने के अनुमति नहीं दी गयी थी। इसके अलावा आपेक्षित निर्णय यदि समग्र रूप से पढा जाये तो कहीं भी दूसरे निरीक्षण के कारण का उल्लेख नहीं किया गया है जबकि केवल एक महीने पहले 18 और 19 नवंबर 2016 को एक उचित निरीक्षण किया गया था और निर्धारित प्रारूप में एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो एम.सी.आई के समक्ष विचाराधीन थी। याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिका और आवेदन की अनुमति दी गई। उत्तरदाताओं को दिशानिर्देश जारी किए गए जैसा कि डॉ जगत नारायण के मामले में पहले देखा जा चुका है। [पैरा 15] [406-सी-एफ]

डॉ जगत नारायण सुभारती चैरिटेबल ट्रस्ट और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 2017 (10) स्केल 308 संदर्भित किया गया।

5. विवादित निर्णय को इस हद तक रद्द किया जाता है जहां तक वह याचिकाकर्ताओं को शैक्षणिक सत्र 2017-2018 में 150 छात्रों को प्रवेश देने से रोकता है। इसके बजाए उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता कॉलेज को वर्तमान वर्ष की काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देने के लिए

निर्देश दिए गए। याचिकाकर्ता कॉलेज के संबंध में प्रवेश लेने के लिए कट ऑफ तिथि 05 सितबंर 2017 तक बढा दी गयी। उत्तरदाताओं को तुरंत ऐसे छात्र उपलब्ध कराने है जो याचिकाकर्ता कॉलेज में अपनी योग्यता के क्रम में केन्द्रीय काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश लेने के इच्छुक है। वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों में पूर्ण न्याय और व्यापक जनहित में कार्य करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह निर्देश जारी किया जा रहा है। [पैरा 16] [406-जी-एचः 407-ए]

6. यह स्पष्ट किया जाता है कि एम.सी.आई या केन्द्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी, याचिकाकर्ता कॉलेज का जब भी उचित समझे निरीक्षण करने के लिए स्वतंत्र है और यदि अवसर देने के बाद भी कोई कमी पाई जाती है तो विधि अनुसार कार्यवाही कर सकते है। [पैरा 16] [407-बी-सी]

केस संदर्भ

2017(10) स्केल 308 निर्दिष्ट किया गया पैरा 15

सिविल मूल क्षेत्राधिकारः सिविल रिट याचिका नंबर 515/2017

मुकुल रोहतगी, कपिल सिब्बल, राजूरामचंद्रन, सी.ए सुदंरम, वी.गिरी वरिष्ठ अधिवक्ता, गौरव भाटिया, उत्कर्ष जयसवाल, अभिषेक सिंह, अमितेश

कुमार, शशांक शेखर, सुश्री प्रीति कुमारी, सुश्री बबीता कुशवाहा, मृत्युजंय कुमार सिन्हा, अमित कुमार, अविजित मणि त्रिपाठी, शौर्य सहाय, जी.उमापति, राकेश के. शर्मा, एल्को जी रिजारियो, आदित्य सिंह- अधिवक्तागण याचिकाकर्ताओं की ओर से

मनिंदर सिंह, ए.एस.जी, विकास सिंह, अजीत कुमार सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता, गौरव शर्मा, सुश्री अमनदीप कौर, धवल मोहन, प्रतीक भाटिया, शरद कुमार सिंघानिया, विपिन कुमार, दीपक गोयल, जी.एस मक्कर, प्रभास बजाज, सुश्री आरती शर्मा, अक्षम अमृतांशु- अधिवक्तागण उत्तरदाताओ की ओर से।

न्यायालय का निर्णय ए.एम. खानविलकर, न्यायाधिपति द्वारा सुनाया गया

1. याचिकाकर्ता सरस्वती एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट, लखनउ ने ''सरस्वती मेडिकल कॉलेज'' के नाम और शैली में, उत्तरप्रदेश के उन्नाव में एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना शैक्षणिक सत्र 2016-2017 के लिए स्वास्थय और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को एक आवेदन किया। शैक्षणिक सत्र 2016-2017 के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 10ए के तहत मंत्रालय को मूल्यांकन और सिफारिशें करने के लिए आवेदन भारतीय चिकित्सा परिषद को भेजा गया था।

2. याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह रिट याचिका दायर की है जिसमें भारत सरकार, प्रतिवादी नंबर 01 द्वारा पारित आदेश दिनांक 31 मई 2017 को चुनौती दी गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता कॉलेज को शैक्षणिक सत्र 2017-2018 और 2018-2019 के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम में छात्रो को प्रवेश देने से रोक दिया गया है और इसके अतिरिक्त याचिकाकताओं द्वारा प्रस्तुत 2 करोड रूपये की बैंक गारंटी को इनकैश करने के लिए प्रतिवादी नंबर 02 मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को अनुमति दी गयी। इस न्यायालय ने 01 अगस्त 2017 को समान मुद्दो वाले मामलो के समूह में निम्नलिखित शर्तो में अपना फैसला सुनायाः

> 24.''इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निगरानी समिति का गठन इस न्यायालय द्वारा किया गया है और उसे अधिनियम के तहत सभी वैधानिक कार्यों की देखरेख करने का भी अधिकार है और इसके अलावा एमसीआई को सभी नीतिगत निर्णयों के लिए इसकी अनुमति चाहिए होगी, मेडिकल कॉलेज की स्थापना के मुद्दे को, जैसा कि इस मामले में, किसी भी तरह से नजरअंदाज नही किया जा सकता है या विचार से बाहर नहीं किया जा सकता है। उल्लेखनीय रूप से, इस न्यायालय ने निगरानी समिति को

उचित उपचारात्मक निर्देश जारी करने का अधिकार भी दिया। हमारे विचार में, समग्र परिप्रेक्ष्य में, याचिकाकर्ता संस्थानो/कॉलेजों को दी गई सशर्त अनुमति की पुष्टि करने के दावे जुडे रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को नए सिरे से विचार करने की आवश्कता है ताकि किसी भी अन्याय की संभावना को दूर किया जा सके।

25.''उपरोक्त प्रेरक आधार पर, केन्द्र सरकार को याचिकाकर्ता कॉलेजो/ संस्थानो को दिये गये सशर्त अनुमति पत्र की पुष्टि या अन्यथा के मुद्दे से संबंधित रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियो पर नये सिरे से विचार करने का आदेश दिया जाता है। हम यह स्पष्ट करते है की इस अभ्यास को करने में, केन्द्र सरकार रिकॉर्ड पर उपलब्ध एम.सी.आई, सुनवाई समिति, डी.जी.एच.एस और निरीक्षण समिति की सिफारीशो/ विचारो का पुर्नमूल्यांकन करेगी। वह आवश्यक सीमा तक याचिकाकर्ता कॉलेजो/ संस्थानो को सुनवाई का अवसर भी प्रदान करेगा। आदेश के अनुसार सुनवाई और उस पर अंतिम तर्कसंगत निर्णय की प्रक्रिया आज से 10 दिनो की अवधि के भीतर अनिवार्य रूप पूरी की जायेगी। निर्धारित समय सीमा

में पूरा करने के लिए पार्टिया इस निर्देश की अनुपालना में सदैव सहयोग करेगी।''

3. उपरोक्त आदेश द्वारा याचिकाकर्ताओं को दी गयी स्वतंत्रता के अनुसरण में, याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी नंबर 01 को एक नया विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया की याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय द्वारा गठित, ओवरसाईट कमेटी (संक्षेप में ''ओसी) द्वारा निर्दिष्ट सभी शर्तो का अनुपालन किया हैजैसा कि शैक्षणिक सत्र 2016-2017 के लिए अनुमति देने वाले पत्र में उल्लेख किया गया था। याचिकाकर्ता कॉलेज को 03 अगस्त, 2017 को सुनवाई समिति द्वारा सुनवाई का अवसर दिया गया था। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं ने ओसी द्वारा की गयी टिप्पणीयों के बारे में बताया जैसा की उसके पत्र दिनांक 14.05.2017 में उल्लेख किया गया था।

> ''ईसी ने 18-19 नवंबर 2016 एवं21-22 दिसंबर 2016 की मूल्यांकन रिपार्टों से कोई कमी नही निकाली, हालांकि उन्होंने 13.01.2017 को अपनी बैठक में दोनो रिपोर्टों पर विचार किया था। तब भी कॉलेज ने 18-19 नवंबर 2016 को अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट में मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा की गयी टिप्पणीयों के खिलाफ प्रतिनिधित्व किया था। कमियों के संबंध में मूल्याकंन रिपोर्ट में बताया गया कि संकाय 1.5

प्रतिशत और रेजीडेंट्स के संबंध में 6.52 प्रतिशत की कमी है जो कि स्वीकार्य सीमा के भीतर है। अन्य कमियॉं व्यक्तिपरक है कोई एम.एस.आर नहीं, एल.ओ.पी ने पुष्टि की।''

4. याचिकाकर्ताओं ने सुनवाई समिति के समक्ष प्रदर्शित किया था की पहले देखी गयी कमियॉं महत्वहीन थीं और अनुमेय मानदंडो के भीतर थीं। मुख्य मामलों में, बुनियादी ढांचे और शिक्षाविदों के संबंध में, याचिकाकर्ता कॉलेज द्वारा मानदंडों के अनुसार आवश्यक सभी सुविधाऐ पूरी की गईं।

5. सुनवाई समिति ने याचिकाकर्ता कॉलेज के रिकॉर्ड और मौखिक और लिखित प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को विचार के लिए सौंपी। भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी ने शैक्षणिक सत्र 2017-2018 के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम में छात्रो को प्रवेश की अनुमति नहीं देने की सुनवाई समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और कहा कि याचिकाकर्ता कॉलेज को (एम.सी.आई विनिमयों के अनुसार)शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए अनुमति के नवीनीकरण के लिए नए सिरे से आवेदन करना चाहिए। भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी ने जिस कारण को महत्व दिया है, उसे भारत सरकार के अंडर सचिव के हस्ताक्षर के तहत जारी दिनांक 10 अगस्त, 2017 के आक्षेपित संचार-सह-

आदेश के पैराग्राफ 17 और 18 से समझा जा सकता है। जिसमें लिखा है कि:

"× × × × × × × × ×

17. अब, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 01.08.2017 के उपरोक्त निर्देश के अनुपालन में, मंत्रालय ने 03.08.2017 को कॉलेज को सुनवाई की अनुमति दी। सुनवाई समिति ने कॉलेज के रिकॉर्ड और मौखिक व लिखित प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी। सुनवाई समिति का अवलोकन इस प्रकार हैः

कॉलेज ने प्रस्तुत किया कि एमसीआई ने 18-19 नवंबर 2016 को ओसी आदेशों के अनुसार अनुपालन सत्यापन किया था। हालांकि, बिना कोई कारण बताए, एमसीआई ने 21 दिसंबर 2016 को फिर से निरीक्षण करने के लिए कॉलेज का दौरा किया। कॉलेज के प्रस्तुतीकरण में, चूंकि एमसीआई को 2016-2017 के लिए एलओपी की पुष्टि के लिए केवल एक बार अनुपालन सत्यापन करने की आवश्यकता थी, इसलिए उसने दूसरे निरीक्षण की अनुमति नहीं दी। कॉलेज प्रतिनिधियों ने यह भी बताया कि उन्होनें

21.12.2016 को टेलिफोन पर ओसी से संपर्क किया था। ओसी द्वारा बताया गया कि एमसीआई को केवल एक निरीक्षण के लिए अधिकृत किया गया था। कॉलेज से पूछा गया कि क्या उन्हें ओसी से लिखित रूप में यही पुष्टि प्राप्त हुई है, जिस पर उन्होनें नकारात्मक उत्तर दिया। नवंबर के निरीक्षण के बाद कॉलेज ने दिनांक 20.11.2016 के पत्र के माध्यम से ओसी के समक्ष अपनी आपत्ति जताई कि उन्हें मूल्यांकनकर्ता द्वारा असहमति नोट डालने की अनुमति नहीं दी गई और यह कॉलेज के लिए प्रतिकूल था। उन्होंने ओसी को फोटो और वीडीयो सबूत के साथ बडी और छोटी सर्जरी की तारीख के बारे में भी बताया। उन्होने ओपीडी, जॉच से संबंधित अन्य जानकारी भी ओसी को सौंपी।

नवंबर एस.ए.एफ रिपोर्ट से यह भी पता चलता है की फैकल्टी की कमी केवल 1.5% थी और रेजीडेंट्स की कमी 6.52% थी।

कॉलेज में कोई अनुपालना प्रस्तुत नहीं करी क्योंकि उसके अनुसार ना तो एमसीआई और ना ही ओसी ने उसे कोई कमी बताई थी।

समिति की राय में एमसीआई को पर्याप्त कारण और औचित्य के अधीन निरीक्षण करने से नहीं रोका गया था। लेकिन कॉलेज के दूसरे निरीक्षण के दौरान मूल्यांकनकर्ता द्वारा कॉलेज/हॉस्पिटल बंद होने जैसी कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। नवंबर के निरीक्षण में कोई बड़ी कमी नहीं थी। मामले के अजीबोगरीब तथ्यों को देखते हुए समिति ने सिफारिश की है कि 2016 -17 के लिए एल.ओ.पी की पुष्टि की जा सकती है। 2017-18 के लिए किसी नए बैच की अनुमति नहीं दी जाएगी। सत्र 2018-19 के लिए कॉलेज के नवीनीकरण की अनुमति के लिए एमसीआई में आवेदन कर सकते हैं।

18. मंत्रालय सुनवाई समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हुए 2016-17 में कॉलेज को दी गई सशर्त अनुमति की पुष्टि करता है। इसके अलावा, कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश की अनुमति नहीं देने का निर्णय लिया गया है। कॉलेज एमसीआई विनियमन के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए अनुमति के नवीनीकरण के लिए नए सिरे से आवेदन कर सकता है।

19. उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन में किए गए प्रवेश को अनियमित माना जाएगा और आईएमसी अधिनियम 1956 के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।"

(जोर दिया गया।)

6. इस निर्णय से व्यथित होकर याचिकाकर्ताओं ने इस अदालत के समक्ष लंबित रिट याचिका में 2017 का आई.ए. नंबर 76155 दायर किया है जिसमें 10 अगस्त 2017 के उपरोक्त आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई है ताकि उत्तरदाताओं को द्वितीय वर्ष के लिए अनुमति के नवीनीकरण की अनुमति देने का निर्देश दिया जा सके और याचिकाकर्ता कॉलेज को शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम में 150 छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति देने के लिए और आगे, याचिकाकर्ता कॉलेज को चल रही केंद्रीय परामर्श प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देने के लिए।

7. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के अनुसार, याचिकाकर्ताओं को सलाह दी गई थी कि 15 दिसंबर, 2016 के बाद दूसरे निरीक्षण की अनुमति नहीं है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं ने 21 और 22 दिसंबर 2016 को मूल्यांकन टीम द्वारा दूसरे निरीक्षण की आवश्यकता पर सवाल उठाया। निरीक्षण नवंबर, 2016 में ही पूरा हो चुका था, इस दौरान कोई बड़ी या गंभीर कमी नहीं पाई गई। उपलब्ध रिकॉर्ड से, जैसा कि ओसी द्वारा ठीक ही

नोट किया गया है, संकाय के संबंध में मूल्यांकन रिपोर्ट में बताई गई कमियां 1.5 प्रतिशत और रेजीडेंट्स की 6.52 प्रतिशत थी, जो स्वीकार्य सीमा के भीतर थी और अन्य कमियां बिना किसी स्पष्ट शर्त के व्यक्तिपरक थीं। यह प्रस्तुत किया गया की याचिकाकर्ता सभी आवश्यक औपचारिकताओं और अतिरिक्त शर्तों, यदि कोई हो, का पालन करने के इच्छुक हैं। अगर न्यायालय निर्देश दे तो याचिकाकर्ता एमसीआई को कॉलेज का निरीक्षण कराने को तैयार है। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस तथ्य पर विचार करते हुए की याचिकाकर्ता कॉलेज ने शैक्षणिक सत्र 2016-17 से काम करना शुरू कर दिया है और सभी बुनियादी ढांचे और शैक्षणिक सुविधाओं को पूरा करता है, इस एल.ओ.पी 2016-17 की पुष्टि करके जारी रखना चाहिए और शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए भी छात्रों को प्रवेश देना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई टिप्पणी पर जोर दिया है कि नवंबर, 2016 में किए गए निरीक्षण में कोई बड़ी कमी नहीं देखी गई है, जो अपने आप में याचिकाकर्ता कॉलेज को एमबीबीएस पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति देने का एक वैद्य कारण है।

8. उत्तरदाताओं के अनुसार, नवंबर, 2016 में किए गए निरीक्षण से याचिकाकर्ता कॉलेज को कोई फायदा नहीं होगा। याचिकाकर्ता कॉलेज को शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति देने के

लिए नए सिरे से निरीक्षण अपरिहार्य था। अभी इस संबंध में कोई निरीक्षण नहीं हुआ है। इसलिए, याचिकाकर्ता कॉलेज द्वारा दावा की गई राहत स्वीकार नहीं की जा सकती। यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता दूसरा निरीक्षण प्रदान नहीं करने के लिए जिम्मेदार थे, इसलिए उनके लिए भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी के निर्णय में गलती ढूंढना संभव नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया है कि उचित जांच और निरीक्षण के बिना किसी भी पेशेवर कॉलेज, खास तौर पर एमबीबीएस पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले मेडिकल कॉलेज को कोई अनुमति नहीं दी जा सकती है। उत्तरदाताओं के अनुसार, यह रिट याचिका और आवेदन दोनों ही योग्यता से रहित है और खारिज किए जाने योग्य है।

9. प्रतिद्वंदी प्रस्तुतियां पर विचार करने के बाद, यह पाया गया कि ओसी ने अपने दिनांक 14.5.2017 के संचार में स्पष्ट रूप से नोट किया है कि कोई बड़ी कमी नहीं थी। मूल्यांकन रिपोर्ट में शिक्षकों के संबंध में बताई गई कमियां केवल 1.5 प्रतिशत और रेजीडेंट्स के संबंध में 6.52 प्रतिशत थी। ये स्वीकार्य सीमा के भीतर थे। याचिकाकर्ता महाविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2016-2017 से संचालित हो रहा है। यहां तक कि सक्षम प्राधिकारी ने भी आक्षेपित निर्णय में यह राय नहीं दी है कि पहले देखी गई कमियां महत्वपूर्ण या गंभीर थीं। दूसरी ओर, पैराग्राफ 17 में, सक्षम प्राधिकारी ने स्पष्ट रूप से नोट किया है कि नवंबर एस.ए.एफ रिपोर्ट में

उल्लेख किया गया है कि संकाय की कमी 1.5 प्रतिशत और रेजीडेंट्स की कमी केवल 6.52 प्रतिशत थी। ऐसी कमियों को किसी भी मानक से गंभीर नहीं कहा जा सकता। वही, जैसा कि ओसी द्वारा सही ढंग से देखा गया था, अनुमेय सीमा के भीतर थे।

10. रिकॉर्ड को देखने पर पता चला कि एमसीआई के मूल्यांकनकर्ताओं ने 18 और 19 नवंबर 2016 को कॉलेज का निरीक्षण किया था, जैसा की एमसीआई को सौंपी गई 150 एमबीबीएस प्रवेश रिपोर्ट के मूल्यांकन फॉर्म से स्पष्ट है जो की 36 पृष्ठो की है। इस रिट याचिका के पृष्ठ अनुलग्नक (पी/12)। निर्धारित प्रारूप में दर्ज मूल्यांकन का सारांश इस प्रकार हैः

"आकलन का सारांश

1. सरस्वती मेडिकल कॉलेज, उन्नाव 'सरस्वती एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट' द्वारा संचालित है।

2. ओवर साइट कमेटी द्वारा दी गई सशर्त मंजूरी के संदर्भ में कॉलेज को पिछले शैक्षणिक वर्ष 2016-17 के लिए 150 सीटों के प्रवेश के साथ भारत सरकार से एलओपी मिली है

3. मूल्यांकन का प्रकारः नियमित-एलओपी सीटों की संख्याः 150

4. पीजी पाठ्यक्रमः नहीं

5. कॉलेज और अस्पताल के बुनियादी ढांचे की कमी, यदि कोई होः कृपया श्रेणीवार उल्लेख करेंः

6. क्लिनिकल सामग्री की कमी, यदि कोई होः कृपया श्रेणी वार उल्लेख करेंः

दोपहर 12:30 तक केवल एक बड़ा ऑपरेशन (सी सेक्शन) किया गया था। दोपहर 1:00 बजे तक कोई छोटी सर्जरी नहीं हुई, रेडियोलॉजिकल और लैबोरेट्री दोनों जांच अपर्याप्त। मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा क्रॉस सत्यापन किया गया। प्रतिदिन औसतन एक यूनिट रक्त ही वितरित किया जा रहा है। मूल्यांकन के दिन कुल 7 इकाइयां संग्रहित की गई। अधिकांश ओपीडी में मरीज कम थे।

7. शिक्षण स्टाफ की कमी, यदि कोई होः

शिक्षण फैकल्टी की कमी 1.5% है

8. रेजिडेंट डॉक्टरों की कमी, यदि कोई होः

रेजिडेंट डॉक्टरों की कमी 6.52% है

9. कोई अन्य टिप्पणीः जैसा की रिपोर्ट में बताया गया है।"

इस मूल्यांकन रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के बाद, 21 दिसंबर, 2016 को एक और औचक निरीक्षण प्रस्तावित किया गया था। चूंकि उक्त निरीक्षण 15 दिसंबर 2016 के बाद निर्धारित किया गया था, इसीलिए याचिकाकर्ता कॉलेज के प्रिंसिपल ने उक्त कार्रवाई पर सवाल उठाया। की गई और आपत्ति को दिनांक 21.12.2016 के पत्र के माध्यम से लिखित रूप में रिकॉर्ड पर रखा गया है, जिसमें लिखा हैः

"सरस्वती मेडिकल कॉलेज

एलआइडीए, मधु विहार, पी.ओ. आशा खेड़ा, एनएच-25,

लखनऊ कानपुर हाईवे, उन्नाव, यूपी पिन-209859

फोनः515-307000,

ईमेलः smc@sarasmaticolleges.com

एसएमसी/एमसीआई/ 2016-17/014 दिनांकः21/12/ 2016

सेवा में,

सचिव,

मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया,

नई दिल्ली।

विषयः 21 दिसंबर,2016 को सरस्वती मेडिकल कॉलेज का औचक मूल्यांकन

सर/मैडम,

21 दिसंबर,2016 को सरस्वती मेडिकल कॉलेज उन्नाव के औचक मूल्यांकन के संबंध में एमसीआई के पत्र संख्या एमसीआई-34(41)(यूजी)/2017-18 मेड/दि 21/12/ 2016 के संदर्भ में।

मुझे निम्नलिखित कहना है,

1. ओसी के निर्देशानुसार, सरस्वती मेडिकल कॉलेज, उन्नाव की भौतिक और अन्य सुविधाओं का अनुपालन मूल्यांकन और सत्यापन एमसीआई द्वारा 18 और 19 नवंबर, 2016 को पत्र संख्या एमसीआई 34(41)/ 2016- मेड. दिनांक 18/11/2016 के माध्यम से पहले ही आयोजित किया जा चुका है।

2. एमसीआई के पत्र क्रमांक. एमसीए 34(41) (आर-107)/ 2016 मेड/.142566 दिनांक 08/11/2016 से कॉलेज को सूचित किया है कि मूल्यांकन निरीक्षण केवल 15 दिसंबर 2016 तक आयोजित किया जाएगा।

3. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कॉलेज को पहले ही एलओपी प्रदान कर दी गई है और उसी के निर्देशानुसार हमारे अनुपालन की पुष्टि करने वाला एक निरीक्षण एमसीआई द्वारा 18 और 19 नवंबर 2016 को पहले ही किया जा चुका है।

चूंकि ओसी ने 18 और 19 नवंबर, 2016 को एमसीआई द्वारा आयोजित अनुपालन निरीक्षण के पुनः निरीक्षण के लिए कोई और निर्देश नहीं दिया है चूंकि की एमसीआई ने कॉलेज को स्पष्ट रूप से सूचित किया है कि निरीक्षण केवल 15 दिसंबर 2016 तक किया जाएगा, कॉलेज को सत्र 2016-2017 के लिए आगे किसी भी अनुपालन निरीक्षण से गुजरने का कोई औचित्य नहीं दिखता, इसलिए 21 दिसंबर 2016 को एमसीआई टीम द्वारा निरीक्षण करवाने से इनकार कर दिया गया।

सादर

एसडी/-

प्रो. बी.पी माथुर

प्रिंसिपल''

यह देखा गया है कि निरीक्षण दल ने दूसरा निरीक्षण करने पर जोर नहीं दिया और याचिकाकर्ता कॉलेज के प्रिंसिपल के रूख के कारण कॉलेज छोड़ने का फैसला किया। यह तथ्य एमसीआई को सूचित किया गया और एमसीआई की कार्यकारी समिति ने 13 जनवरी, 2017 को आयोजित अपनी बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया और निम्न अनुसार नोट कियाः

> ".....परिषद की कार्यकारी समिति ने परिषद मूल्यांकन कर्ताओं की नियुक्ति टीम के दिनांक 21/12/2016 के पत्र का भी अवलोकन किया जिसमें निम्न अनुसार बताया गया हैः-
>
> उपरोक्त उद्दधत विषय के लिए ईमेल के पत्र क्रमांक संख्या एमसीआई -34 (41)/ 2016- एमइडी /दिनांक 21.12.16 द्वारा बताया, हम कॉलेज गए और सुबह 10:00 बजे वहां पहुंचे और प्रिंसिपल डॉक्टर बीपी माथुर से मिले जिन्होंने हमें सूचित किया कि वह नहीं चाहते हैं कि मूल्यांकन किया जावे और ऐसा बताते हुए उन्होंने एक पत्र दिया। प्राचार्य का पत्र भरे हुए एसएआईआई फार्म के साथ संलग्न है।"

समिति ने प्रिंसिपल, सरस्वती मेडिकल कॉलेज उन्नाव के दिनांक 21/12/2016 के पत्र का भी अवलोकन किया। समिति ने 15/01/2017 के

पत्र के माध्यम से एमसीआई को अपनी सिफारिश से निम्न अनुसार प्रस्तुत कीः

> "उपरोक्त के मद्धेनजर कॉलेज, केंद्र सरकार को दिए गए वचन की पालन करने में विफल रहा है कि दिनांक 11/8/2016 के संचार के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिदेशित निरीक्षण समिति द्वारा पारित निर्देशों के खंड 3.2 (i) के अनुसार कोई कमी नहीं है। कार्यकारी समिति में उचित विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया है कि कॉलेज निरीक्षण समिति द्वारा निर्धारित शर्तों की पालन करने में विफल रहा है। तदनुसार कार्यकारी समिति अनुशंसा करती है कि दिनांक 11/8/16 के संचार के माध्यम से पैरा 3.2 (बी) में ओवर साइट समिति द्वारा पारित निर्देशों के अनुसार कॉलेज को दो शैक्षिणिक वर्षों यानी 2017-2018 और 2018-19 की अवधि के लिए उपरोक्त पाठ्यक्रम में छात्रों को प्रवेश देने से रोक दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा यह वचन देने के बाद भी की उन्होंने छत्रपति शाहजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के तहत सरस्वती एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा उन्नाव उत्तर प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए

संपूर्ण बुनियादी ढांचे को पूरा कर लिया है, कॉलेज में घोर कमी पाई गई। कार्यकारी समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि ओवरसाइट समिति द्वारा परित निर्देशों के साथ-साथ भारत सरकार के पत्र दिनांक 20/8/2016 के अनुपालन में कॉलेज द्वारा दी गई बैंक गारंटी इनकैश की जा सकती है।''

11. एमसीआई की सिफारिश के आधार पर, मंत्रालय ने 8 फरवरी 2017 को डीजीएचएस द्वारा कॉलेज को व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति देने का निर्णय लिया। सुनवाई समिति ने कॉलेज की मौखिक और लिखित दलीलों की जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी। सुनवाई समिति की रिपोर्ट मार्गदर्शन के लिए ओसी को भेज दी गयी थी। ओसी ने मामले की जांच करने के बाद 14 मई 2017 के पत्र के माध्यम से कहा कि एमसीआई की कार्यकारी समिति ने मूल्यांकन रिपोर्ट में कोई कमी नहीं बताई है। दूसरी और, मूल्यांकन रिपोर्ट में संकाय के संबंध में केवल 1.5 प्रतिशत और रेजीडेंट्स के संबंध में 6.52 प्रतिशत की कमी बताई गई जो स्वीकार्य मानदंडों के भीतर थी। ओसी ने आगे कहा कि बाकी कमियां व्यक्तिपरक थी और इस संबंध में कोई स्पष्ट शर्त नहीं थी और इसलिए अनुमति पत्र की पुष्टि की सराहना की गई।

12. उपरोक्त पर विचार करते हुए, हम पाते हैं कि शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए अनुमति पत्र जारी करने का निरीक्षण विधिवत 18 और 19 नवंबर 2016 को किया गया था। हम उत्तरदाताओं द्वारा उठाए गए इस तर्क को खारिज करते हैं की शैक्षणिक सत्र 2017-18 के संबंध में कोई निरीक्षण अब तक नहीं किया गया है। दरअसल याचिकाकर्ताओं ने 21 और 22 दिसंबर 2016 को किए गए दूसरे ओचक निरीक्षण पर आपत्ति जताई थी क्योंकि वह कट ऑफ डेट 15 दिसंबर 2016 के बाद था। जिस उद्देश्य के लिए दूसरा औचक निरीक्षण जरूरी हो गया था, जबकि पिछली रिपोर्ट लंबित थी और वह भी अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2016 के बाद 13 जनवरी 2017 को आयोजित अपनी बैठक में कार्यकारी समिति द्वारा या उस मामले के लिए सुनवाई समिति द्वारा या केन्द्र सरकार इससे भी अधिक सक्षम प्राधिकारी द्वारा समझाया या नोट नहीं किया गया है। गौरतलब है कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां कॉलेज के अधिकारियों ने निरीक्षण दल को कॉलेज में प्रवेश करने से रोका हो। याचिकाकर्ता कॉलेज ने केवल उन्हें दी गई सलाह के अनुसार अपनी आपत्ति रिकॉर्ड पर रखी थी की कट ऑफ डेट के बाद एमसीआई द्वारा इस तरह के निरीक्षण की अनुमति नहीं थी। निरीक्षण दल ने बिना कोई निरीक्षण किया कॉलेज छोड़ने का फैसला किया। हालांकि, सक्षम प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता कॉलेज को 2 साल के लिए प्रतिबंधित करने की एमसीआई की सिफारिश पर स्वचालित रूप से

कार्रवाई की और 31 मई, 2017 के आदेश के तहत एमसीआई को 2 करोड रुपए की बैंक गारंटी इनकैश के लिए अधिकृत किया।

13. वर्तमान रिट याचिका में मंत्रालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 31 मई, 2017 की आलोचना की गई है। जैसा कि पहले उल्लेख किया है, रिट याचिका की सुनवाई 01 अगस्त, 2017 को संबंधित मामलों के साथ की गई थी, जिस दिन इस न्यायालय ने केन्द्र सरकार को मामले पर नए सिरे से विचार करने और कारण दर्ज करने का निर्देश दिया था। उक्त निर्देशो के अनुसरण में, याचिकाकर्ताओं ने केन्द्र सरकार के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और 03 अगस्त, 2017 को सुनवाई समिति के समक्ष सुनवाई में भी भाग लिया था। सुनवाई समिति ने प्रासांगिक मामलों के संदर्भ के बिना एक बार फिर पहले की स्थिति को दोहराया कि याचिकाकर्ता कॉलेज ने दूसरा निरीक्षण नहीं होने दिया। न तो दूसरे निरीक्षण का उद्देश्य विस्तृत किया गया है और ना ही सुनवाई समिति द्वारा कोई औचित्य दिया गया है कि दूसरे निरीक्षण की आवश्यकता क्यों थी और इससे भी अधिक जब पहला निरीक्षण लगभग एक महीने पहले किया गया था। केन्द्र सरकार ने स्वचालित रूप से सुनवाई समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और 10 अगस्त, 2017 को विवादित निर्णय पारित कर दिया है जैसा कि विवादित निर्णय के पैराग्राफ 17 और 18 में टिप्पणीयों से समझा जा सकता है।

14. हमें यह विचार करने में कोई झिझक नहीं है कि सुनवाई समिति के साथ साथ केन्द्र सरकार भी मामले के सभी सुसंगत पहलुओं पर विचार करने में विफल रही है और उक्त अधिकारीयों निकाला गया द्वारा निष्कर्ष यदि विकृत नही था तो भी विवेकहीन है। हम इस तथ्य से अवगत है कि विनियमों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्पष्ट रूप से या निहितार्थ से एमसीआई को कई निरीक्षण करने से रोकता हो। हालांकि, जब उस कारवाई पर सवाल उठाया जाता है, तो यह उम्मीद की जाती है कि एमसीआई को दूसरे औचक निरीक्षण के लिए कुछ औचित्य पेश करना चाहिए, जब उसके मूल्यांकनकर्ताओं ने हाल ही में 18 और 19 नवंबर 2016 को निरीक्षण किया था और 36 पृष्ठो की एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जो अनुलग्नक (पी/12) है। सुनवाई समिति के साथ साथ केन्द्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षा की गई थी कि वे कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले मामले के इस पहलू की जांच करें, खासकर जब रिकॉर्ड पर निरीक्षण रिपोर्ट में 1.5 प्रतिशत संकाय और 6.52 प्रतिशत रेजीडेंट्स की मामूली कमी को छोडकर किसी भी कमी का उल्लेख नहीं किया गया था जो स्पष्ट रूप से अनुमेय मानदंडो के भीतर थे।

15. सवाल यह है कि क्या सक्षम प्राधिकारी का यह दृष्टिकोण याचिकाकर्ता कॉलेज को शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम में छात्रो को प्रवेश देने की अनुमति देने की प्रार्थना पर विचार

करने में बाधा बन सकता है? विशेष रूप से, सक्षम प्राधिकारी ने शैक्षणिक सत्र 2016-2017 के लिए कॉलेज को दी गई सशर्त अनुमति की पुष्टि पहले ही कर दी है, लेकिन याचिकाकर्ता कॉलेज को शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम में छात्रो को प्रवेश देने की अनुमति नहीं दी है। इसके अलावा आक्षेपित निर्णय भले ही समग्र रूप से पढा जाए कहीं भी दूसरे निरीक्षण के कारण का उल्लेख नहीं करता है, जबकि केवल एक महीने पहले 18 और 19 नवंबर, 2016 को एक उचित निरीक्षण किया गया था और निर्धारित प्रारूप में उस संबंध में एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी। और जो एमसीआई के समक्ष विचाराधीन थी। अब उतरदाताओ द्वारा उठाया गया यह तर्क कि याचिकाकर्ताओं ने दूसरे निरीक्षण पर आपति जताई, वे राहत के हकदार नही है, इसलिए यह हमारे लिए उपयुक्त नही है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि याचिकाकर्ता कॉलेज बुनियादी ढांचे और शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करता है और एमबीबीएस पाठ्यक्रम में छात्रो के पहले बैच को प्रवेश देकर शैक्षणिक सत्र 2016-2017 से कार्यात्मक हो चुका है और सक्षम प्राधिकारी ने भी देखा है कि कोई बडी कमी नहीं है व्यापक जनहित में, हम इस याचिका और याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार करते है। हम उतरदाताओं को आगे के निर्देश जारी करने के लिए भी इच्छुक है जैसा कि डॉ. जगत नारायण

सुभारती चैरिटेबल ट्रस्ट व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य के फैसले में जारी किया गया है जो 30 अगस्त 2017 को दिया गया था।

16. तदनुसार, हम उस निर्णय को रद्द करते हैं और उस हद तक खारिज करते हैं, जिसमें यह याचिकाकताओं को शैक्षणिक सत्र 2017-18 में 150 छात्रो तक प्रवेश देने से रोकता है। इसके बजाय हम प्रतिवादीयों को निर्देश देते है कि वे याचिकाकर्ता कॉलेज को चालू वर्ष की काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दें। हालॉकि याचिकाकर्ता कॉलेज के संबंध में प्रवेश पूरा करने की कट-ऑफ तिथि 05 सितंबर 2017 तक बढा दी गई है। उतरदाताओ को तुरंत उनकी योग्यता के अनुसार क्रेन्द्रीय परामर्श के माध्यम से याचिकाकर्ता कॉलेज में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्रों को उपलब्ध कराना होगा। यह निर्देश भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय की पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हुये, वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों में पूर्ण न्याय करने और व्यापक सार्वजनिक हित में जारी किया जा रहा है, ताकि जिन इच्छुक छात्रो को एमबीबीएस पाठ्यक्रम के प्रथम शैक्षणिक सत्र 2017-18 प्रवेश नहीं मिला है, नीट परीक्षा में उनकी योग्यता के क्रम में, याचिकाकर्ता कॉलेज में प्रवेश का अवसर मिलेगा। साथ ही हम यह स्पष्ट करते हैं कि एमसीआई या क्रेन्द्र सरकार का सक्षम प्राधिकारी जब भी उचित समझे याचिकाकर्ता कॉलेज का निरीक्षण करने के लिए स्वतंत्र है और यदि याचिकाकर्ता कॉलेज को अवसर देने के बाद कोई कमी पाई जाती

है तो उसके खिलाफ उचित कारवाई की जा सकती है। कानून के अनुसार कॉलेज यह व्यवस्था न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति करेगी।

17. खर्चे के संबंध में कोई आदेश नहीं।

कल्पना के.त्रिपाठी याचिका मंजूर।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास'की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विक्रम चौधरी(आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।